न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 13/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. प्रेमसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी एसटीसी रोड़, देलवाड़ा, आबूपर्वत		1. राधेश्याम पुत्र नाथुलाल जाति रेगर निवासी एसटीसी रोड़, देलवाडा, आबूपर्वत 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री आनन्द दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक:–28.9.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आबूपर्वत द्वारा प्रकरण संख्या 13/2014 बअनवान राधेश्याम बनाम प्रेमसिंह अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कानाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा देलवाड़ा के खसरा नम्बर 28 रकबा 0.04 हैक्टेयर पर अपीलाण्ट द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 (बी) के तहत दर्ज रजिस्टर कर अपीलाण्ट के नाम नोटिस जारी किया गया, जो नोटिस अपीलाण्ट से तामील ही नहीं हुआ। हालांकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायिक प्रक्रिया अनुसार पोषणीय ही नहीं था, क्योंकि न तो प्रार्थना पत्र पर कोर्ट फीस अदा की थी एवं न ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य था, जस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कन्सीडर करने में कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त जिस भूमि को रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि बताते हुए अपीलाण्ट का अतिक्रमण होना जाहिर किया, उसके सम्बन्ध में न तो राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत किया एवं न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की, जो इस तथ्य की ताईद करती हो, कि जैर अपील विवादित आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण हो। अपीलाण्ट अपनी खरीदसुदा खातेदारी भूमि पर ही काबिज है, जिसका वर्ष 2003 में अपीलाण्ट एवं अन्य सह खातेदारान् द्वारा सीमांकन करवाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना एवं बिना तथ्यों के जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की अपीलाण्ट को जानकारी ही नहीं थी, जब रेस्पोडेन्ट ने अपीलाण्ट की भूमि में दखल अन्दाजी करने की कोशिश की, तो अपीलाण्ट द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर जैर अपील आदेश की जानकारी हुई, जिस पर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर विधिक सलाह से यह अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपास्त करावें।

विद्धान अभिभाषंक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है। इसी आधार पर अपनी खातेदारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की है, जिसका उसे पूर्ण अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलाण्ट के परिवार के व्यस्क सदस्य से तामील करवाए गए है, जो विधिवत तामील की श्रेणी में शुमार होने से तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज़ योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत संक्षिप्त विचारण की कार्यवाही करते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुए पुनः कब्जा अनुसूचित जाति के व्यक्ति, जो कि खातेदार है, को सुपुर्द करने के प्रावधान है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी, इसके बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 31.01.2014 को पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.06.2018 को प्रस्तुत की गई है, जो आदेश पारित होने के लगभग 4 वर्ष 5 माह से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण अपीलाण्ट का बीमार होना बताया है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताते हुए अपील खारिज कराने का निवेदन किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है। अब प्रकरण को यदि गुणावगुण पर देखा जाए, तो यह स्थिति प्रकट होती है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा देलवाड़ा के खसरा नम्बर 128 पर प्रेमसिंह व रतनसिंह द्वारा किये गए अतिक्रमण को हटवाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ न तो शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं न ही न्यायालय शुल्क अदा किया। इस प्रार्थना पत्र के साथ जो राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत किया, उसमें विशिष्ठ रूप से खसरा नम्बर 128 का उल्लेख ही नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया हो, जिसे हटवाया जाना विधि सम्मत हो।

प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में तहसीलदार अथवा पटवारी हल्का से मौका जांच व सीमांकन रिपोर्ट तलब ही नहीं की तथा न ही ऐसा कोई मौका निरीक्षण/सीमांकन उभयपक्ष के समक्ष किया जाना प्रकट होता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया तथा न ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को साक्ष्य से साबित किया गया। इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 14.02.2010 पेज 132 में यह प्रतिपादित किया कि "Rajasthan Tenancy Act, Section 183 (B)-- Revision against order of Tehsildar in respect to re-open the evidence closed- Application filed by non-petitioners to re-opening the evidence was accepted by the Board at admission stage- According to principles of natural justice, Tehsildar should have given chance to the parties to produce evidence at preliminary stage- Cost should have been imposed on the petitioner for not producing evidence and proof on his part--Cost of Rs 500/- is imposed on petitioner--Directions issued to the court and parties." चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत दर्ज किया गया है, इस हेतु सन्दर्भ कानून का विवेचन आवश्यक है। हालांकि यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि अन्य बिन्दु जिन पर पक्षकारान् में मतभेद हो, विचार बिन्दु विरचित किए जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (ख) की मंशा यह कदापि नहीं है कि प्रकरण की सुनवाई इतनी लम्बी चलाई जावे कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण को लम्बे समय तक टाला जा सके। यह प्रावधान इसलिए

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

किया गया है, ताकि इस श्रेणी के व्यक्तियों को त्वरित गति से विधि सम्मत लाभ प्रदान किया जा सके। धारा 183 (बी), अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है, जिसकी उपधारा 2 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि उक्त धारा (1) में दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र पर जांच अतिक्रमण के आरोपी को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात संक्षेप में कार्यवाही की जावेगी। संक्षेप रूप में (summary proceedings) से तात्पर्य यह है कि वह प्रक्रिया जो दावों में अपनाई जाती है, का इन कार्यवाही में अपनाया जाना आवश्यक नहीं है। हालांकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 208 के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान अवश्यक लागू किये गए है, किन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि संक्षेप रूप से वाद अथवा प्रार्थना पत्र की जांच किये जाने पर वहीं प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जो कि मूल वाद में अपनाई जानी आज्ञापक होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) की उप–धारा 2 में "आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर" शब्द अंकित है, जिसका तात्पर्य यह है कि अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को उप–धारा 1 के तहत प्रार्थना पत्र को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) की उप धारा 2 का उल्लंघन है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को यथावत रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आबूपर्वत द्वारा प्रकरण संख्या 13/2014 बअनवान राधेश्याम बनाम प्रेमसिंह अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है वे उपरोक्त Observation के आधार पर प्रकरण में पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही